

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/गृहण्ड को निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यायक्त, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त हो जा सकती है ।

स्कूल छिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

जी+1
आवासीय

आवेदन क्रमांक 351 दिनांक 23/10/2020
 माध्या प्रीमती पर्वती देवी जी+1 श्री ओम प्रकाश सोनी
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 प.नं: 516 एन आई जी एच
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय नम्बर 01, कामला नेशनल पथ
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
 कर स्थनिद्वारण राशि रुपये 23666/- जमा
 जरिये रसीद संख्या 9069/321, 322
 दिनांक 23/10/2020 को जमा करा दी है ।

26/10/2020

सहायक नगर नियोजक
 नगर निगम, जोधपुर

parwatisevi Jaku
 Omprakash Sahu
 R. N. Nagar Jodhpur
 9414136069
 Haxband